1285/2022
21/10/2022

# प्रारूप सात
## (नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सोसाइटी का नाम और पूरा पता | **गुरूदेव शिक्षण समिति**<br>*एम. आई. जी. 17 एवं 18 प्रेमनगर बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.)* |
| 2 | रजिस्ट्रेशन क्रमांक तथा तारीख | 04/21/01/14836/12 दिनांक 07/11/2012 |
| 3 | साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख | **18-09-2022** |
| 4 | विद्यमान पदाधिकारियों की सूची | कार्यकाल तारीख **18-09-2022 से 17-09-2025 तक** |

| क | नाम,पिता/पति का नाम | पता | धारित पद | मुख्य व्यवसाय | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री दीपक हीरावत पिता श्री ज्ञानचंद जी हीरावत | एम. आई. जी. 17 एवं 18 प्रेमनगर बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) | अध्यक्ष | व्यवसाय | [signature] |
| 2 | श्री सुभय वैघ पिता श्री अभय कुमार वैध | कुम्हारी मोहल्ला बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) | उपाध्यक्ष | व्यवसाय | Anidya |
| 3 | श्री सुरेश कुमार जैन पिता श्री मागीलालजी कोचर | पूजा साड़ी सेंटर, इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | सचिव | व्यवसाय | [signature] |
| 4 | श्री गुलाब पारख पिता श्री रेकचद पारख | समर्पण कामठी लाईन , राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव. | संयुक्त सचिव | व्यवसाय | Gulab |
| 5 | श्री संयोग कोचर पिता श्री शांतिलालजी कोचर | शांति ज्वेलर्स, मेन रोड, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | कोषाध्यक्ष | व्यवसाय | [signature] |
| 6 | श्रीमति चंचल जैन पति श्री सुरेश कुमार जैन | पूजा साड़ी सेंटर, इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | कार्यकारिणी सदस्य | गृहणी | Chanchal Jain |
| 7 | श्रीमति सीमा जैन पति श्री डॉ त्रिभुज जैन | चौबे कॉलोनी, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.) | कार्यकारिणी सदस्य | गृहणी | Seema Jain |
| 8 | श्रीमति सुधा हीरावत पति श्री दीपक हीरावत | एम. आई. जी. 17 एवं 18 प्रेमनगर बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) | कार्यकारिणी सदस्य | गृहणी | K. Sudha [signature] |
| 9 | श्री कमलेश वैघ पिता श्री पारसमल जी वैघ | महावीर कॉलोनी, म.न. 23 दुर्ग (छ.ग.) | कार्यकारिणी सदस्य | व्यवसाय | Kvaidya |

5 मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन .00 रू की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक ............ दिनांक ............ के द्वारा जमा की गई हैं उसकी मुल प्रति संलग्न है।

**"मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।**

घोषणा

मैं दीपक हीरावत पिता श्री ज्ञानचंद जी हीरावत आयु लगभग वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधरित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य हैं। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य मे हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती हैं तो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूंगा।

[signature] 21/10/2022
**Sanjay Kumar Tiwari**
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

[signature]
( दीपक हीरावत )
अध्यक्ष
गुरूदेव शिक्षण समिति
जिला बालाघाट (म.प्र.)
Chairman
Gurudev Shikshan Samiti

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH BU 609377

"मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।"

संस्था गुरुदेव विज्ञान समिति जीयन 14836/12 दिनांक 7/11/12 के नाम से दिनांक 20/10/22 प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 20/10/22 को आवेदक श्री दीपक हीरावत के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है। धारा के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता संबंध में प्रमाण-पत्र/आदेश नहीं

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

जिला कोषालय
जबलपुर

06 SEP 2022

सत्य मेव जयते

खजांची स.को.अ. को.अ.

विनोद पाठक
स्टाम्प विक्रेता क्र. 222
पंजीयक

2229/12
8/11/12

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

# समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक ....04/21/01/14836/12

यह प्रमाणित किया जाता है कि गुरुदेव शिक्षण समिति ........

समिति जो M.I.G.-17 एवं 18 प्रेमनगर ....., तहसील बालाघाट .....

जिला .......... बालाघाट .......... में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन ....7/11/2012.... को पंजीयित की गई है।

दिनांक ....सात.... माह ....नवम्बर.... सन् 2012

(जे. के. दुबे)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर
समितियों के रजिस्ट्रार

मुद्रा

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर

शाकंमुभो—329—अरफएवंसंभो—31-5-2006—5,000.

3786/12 14/3/13

6939 2/3/13

प्रारूप-सात

(नियम 11 देखिये)

**रजिस्ट्रार, फार्म एवं सोसायटी को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र ( प्रोफार्मा )**

1. सोसायटी का नाम एवं पता — गुरूदेव शिक्षण समिति म.नं.-17 एवं 18 प्रेमनगर तहसील बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र.

2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक एवं दिनांक — 04/21/01/14836/12 दिनांक 07/11/12

3. उपस्थित सदस्यों की संख्या, उनके नाम तथा पता संलग्न करें। — उपस्थित - 09 सूचि संलग्न है।

4. रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी निकाय की अवधि। — 03 वर्ष

5. वर्तमान निर्वाचन की तारीख और उपस्थित सदस्य संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी। — 03-02-13 उपस्थित सदस्य - 09 गणपूर्ति 2/3

6. विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया, एक सूची, उनके नाम, पते तथा उपजीविकाएं उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करें। — 03-02-13 सूचि संलग्न है।

7. पूर्व निर्वाचन की तारीख — यह पंजीयन के पश्चात प्रथम विधिवत निर्वाचन है।

8. सोसायटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन का मास तथा तारीख। — मास तथा तारीख निश्चित नहीं है।

9. अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी, यदि प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उसका क्या कारण है। — यह प्रथम सूचि है।

10. इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत, तारीख सहित संलग्न करें। — 03-02-2013 प्रतिलिपि संलग्न है।

11. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अधीन सूची की वार्षिक फीस रुपये 240=00 रसीद/चालान क्रमांक 111 तारीख 01-03-2013 द्वारा जमा कर दी गई है। चालान की मूल प्रति संलग्न हैं। — मूलप्रति संलग्न है।

मैं दीपक हीरावत पुत्र श्री ज्ञानचंदजी हीरावत आयु 52 वर्ष प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है और यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय होगा।

स.प्रतिलिपि
14/3/13
(जी. के. दुबे)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर

अध्यक्ष
हस्ताक्षर अध्यक्ष/सचिव.
गुरुदेव शिक्षण समिति
बालाघाट (म.प्र.)

शाकेमुभो—613—डनिशाकेमुभो—29-6-2001—10,000.

# गुरूदेव शिक्षण समिति

3786/12
14/3/13

वर्तमान प्रबंधकारिणी सूची

कार्यकाल 03-02-13 से 02-02-16 तक

| क्र | नाम,पिता/पति का नाम | पद | पता | व्यवसाय | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री दीपक हीरावत<br>पिता श्री ज्ञानचंदजी हीरावत | अध्यक्ष | एम.आई.जी.17 एवं 18, प्रेमनगर, बालाघाट तह. व जि.बालाघाट (म.प्र.) | व्यवसायी | (हस्ताक्षर) |
| 2 | श्री सुभय वैद्य<br>पिता स्व. श्री अभय कुमार वैद्य | उपाध्यक्ष | कुम्हारी मोहल्ला, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | व्यवसायी | (हस्ताक्षर) |
| 3 | श्री सुरेश कुमार जैन<br>पिताश्री मांगीलालजी जैन | सचिव | पुजा साड़ी सेन्टर इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट, तह. व जि. बालाघाट | व्यवसायी | (हस्ताक्षर) |
| 4 | श्री गुलाब पारख<br>पिताश्री रेकचंदजी पारख | सहसचिव | 'समर्पण' कामठी लाईन, राजनांदगांव जि. राजनांदगाव (छ.ग.) | व्यवसायी | Gulab |
| 5 | श्री संयोग कोचर<br>पिता श्री शांतिलालजी कोचर | कोषाध्यक्ष | शांति ज्वेलर्स, मेन रोड, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | व्यवसायी | (हस्ताक्षर) |
| 6 | श्रीमती चंचल जैन<br>पतिश्री सुरेश कुमारजी जैन | कार्यकारिणी सदस्य | पुजा साड़ी सेन्टर इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट, तह. व जि. बालाघाट | गृहणी | Chanchal Jain |
| 7 | श्रीमती सीमा जैन<br>पति डॉ. त्रिभुन जैन | कार्यकारिणी सदस्य | चौबे कालोनी, रायपुर, तह. व जि. रायपुर (छ.ग.) | गृहणी | Seema Jain |
| 8 | श्रीमती सुधा हीरावत<br>पति श्री दीपक हीरावत | कार्यकारिणी सदस्य | एम.आई.जी.17 एवं 18, प्रेमनगर, बालाघाट तह. व जि.बालाघाट (म.प्र.) | व्यवसायी | Sudha Hirawat |
| 9 | श्री कमलेश वैद्य<br>पिता श्री पारसमल जी वैद्य | कार्यकारिणी सदस्य | महावीर कॉलोनी, म.नं.23, दुर्ग (छ.ग.) | व्यवसायी | K.Vaidhya |

सत्यप्रतिलिपि

14/3/13

(जे. के. दुबे)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 40AA 229913

कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है।

14/3/13

(जे. के. दुबे)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर

क्रमांक 11685 दिनांक 01-03-13 स्टाम्प रु. 10/-

क्रेता गुरुदेव शिक्षण समिति (पिता/पति)

पता

मा.

संव्यवहार के पक्षकार ग्राम प्रधान राजेश खंडेलवाल

पता

प्रयोजन

पी.एन.साहू

स्टाम्प वेन्डर, बालाघाट

10×1

10/

27/4/12
27/12/12

प्रारुप क्रमांक-1
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र
(देखिये नियम-3)

1. संस्था का नाम :- गुरुदेव शिक्षण समिति

2. संस्था का कार्यालय :- एम.आई.जी. 17 एवं 18, प्रेमनगर, बालाघाट
तह. व जि.बालाघाट (म.प्र.)

3. संस्था का उद्देश्य :-

1- आम जन को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने हेतु शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा उन्हे शिक्षित करना इस हेतु आवासीय व गैर आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित करना।

2- आम जन में तकनिकी शिक्षा जैसे कम्प्युटर शिक्षा, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे जागृति उत्पन्न करना इस हेतु प्रचार प्रसार करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करना।

3- डी.एड, बी.एड, एम.एड, इंजिनियरिंग, मेडिकल, ए.एन.एम., जी.एन.एम. बी.एस.सी. नर्सिंग, सहचिकित्सा, डी. फार्मा, बी.फार्मा, फार्मासीटीकल, मिडवायफरी सेंटर, सहायक प्रशिक्षण सेंटर, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, सिलाई सेंटर, कला एवं संगीत विद्यालय, एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवं उसके लिये शिक्षण संस्थानो की स्थापना कर उनका संचालन करना।

4- प्रशिक्षणार्थियों में स्वावलंबन की भावना जागृत कर रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना।

5- छात्र-छात्राओं मे छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सम्पन्न करना।

6- व्यायाम विद्या की प्रोन्निति के लिए।

7- विज्ञान, सांस्कृतिक कला, ललित कलाओं, लोक गीत, लोक नृत्य, क्रीड़ा आदि की अभिवृद्धि।

8- राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देना व सर्वांगीण विकास करना। इसके उत्थान एवं विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं विभिन्न कलाओं को मंच प्रदान करना।

9- समाज में देशभक्ति एवं राष्ट्रसेवा की भावना में वृद्धि करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित करना एवं राष्ट्रीय संस्कारों की पुर्नस्थापना करना। देशभक्ति व राष्ट्रीय चिंतन की भावना का विकास राष्ट्रीय एवं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनमत तैयार करना। समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने हेतु प्रयास करना।

10- समाज एवं सरकारी संस्थाओं के बीच सेतु का कार्य करना।

11- स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, रेड क्रास सोसायटी के उद्देश्य का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाना। विकलांग, नेत्रहीन, कुष्ठ रोगियों, पोलियो, एड्स, टी.बी., मलेरिया, शिशु भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य परिवार कल्याण में शासन का सहयोग एवं उक्त कार्यक्रम का आयोजन करना।

अध्यक्ष    सचिव    कोषाध्यक्ष

12- पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण व संवर्धन हेतु कार्य करना।

13- राष्ट्रीय पर्व एवं महत्वपूर्ण दिवस तथा महापुरुषो की जयंती मनाना। जनता में राष्ट्रहित की भावना जागृत करना।

14- वन्य जीव/प्राणी संरक्षण हेतु कार्य करना।

15- वैकल्पिक उर्जा हेतु शोध व प्रचार प्रसार करना। इस हेतु प्रदर्शनी का आयोजन करना।

16- प्राकृतिक आपदा के समय प्रबंधन कार्य कर मानवीय सहयोग प्रदान करना।

17- उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में आम आदमी को जागरुक करना। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन कर सहायता प्रदान करना तथा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करना।

18- समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गो हेतु जनकल्याणकारी कार्य करना।

19- महिला व बाल विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

20- नशा मुक्ति हेतु जन जागृति अभियान चलाना।

21- कृषि की नवीन तकनिकीयो से कृषको को अवगत कराना एवं अनुसंधान करना।

22- नि:शक्तजन, वृद्ध, परित्यगतता महिला, बच्चे आदि के लिये आश्रम का संचालन करना।

23- उद्योग, वाणिज्य, खादी की प्रोन्नति के लिये कार्य करना।

24- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को कार्यान्वित करना।

समिति के प्रबंध विनिमयों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद, संचालको की सभा या शासी निकाय को सौपा गया है। जिनके नाम,पते तथा व्यवसाय का उल्लेख निम्नांकित है :-

| क्र. | नाम | पद | पता | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री दीपक हीरावत<br>पिता श्री ज्ञानचंदजी हीरावत | अध्यक्ष | एम.आई.जी.17 एवं 18, प्रेमनगर, बालाघाट तह. व जि.बालाघाट (म.प्र.) | व्यवसायी |
| 2 | श्री सुभय वैद्य<br>पिता स्व. श्री अभय कुमार वैद्य | उपाध्यक्ष | कुम्हारी मोहल्ला, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | व्यवसायी |
| 3 | श्री सुरेश कुमार जैन<br>पिताश्री मांगीलालजी जैन | सचिव | पुजा साड़ी सेन्टर इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट, तह. व जि. बालाघाट | व्यवसायी |
| 4 | श्री गुलाब पारख<br>पिताश्री रेकचंदजी पारख | सहसचिव | 'समर्पण' कामठी लाईन, राजनांदगांव जि. राजनांदगाव (छ.ग.) | व्यवसायी |
| 5 | श्री संयोग कोचर<br>पिता श्री शांतिलालजी कोचर | कोषाध्यक्ष | शांति ज्वेलर्स, मेन रोड, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | व्यवसायी |
| 6 | श्रीमती चंचल जैन<br>पतिश्री सुरेश कुमारजी जैन | कार्यकारिणी सदस्य | पुजा साड़ी सेन्टर इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट, तह. व जि. बालाघाट | गृहणी |
| 7 | श्रीमती सीमा जैन<br>पति डॉ. त्रिभुन जैन | कार्यकारिणी सदस्य | चौबे कालोनी, रायपुर, तह. व जि. रायपुर (छ.ग.) | गृहणी |
| 8 | श्रीमती सुधा हीरावत<br>पति श्री दीपक हीरावत | कार्यकारिणी सदस्य | एम.आई.जी.17 एवं 18, प्रेमनगर, बालाघाट तह. व जि.बालाघाट (म.प्र.) | व्यवसायी |
| 9 | श्री कमलेश वैद्य<br>पिता श्री पारसमल जी वैद्य | कार्यकारिणी सदस्य | महावीर कॉलोनी, म.नं.23, दुर्ग (छ.ग.) | व्यवसायी |

अध्यक्ष      सचिव      कोषाध्यक्ष

यह पंजीयन के समय के ज्ञापन-पत्र की नकल है प्रबंधकारिणी की वैधानिक सूची नहीं है।

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमो की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधिन अपेक्षित है।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है।

यह पंजीयन के समय के ज्ञापन-पत्र की
[illegible] है प्रबंधकारिणी की वैधानिक सूची
नहीं है।

| क्र | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री दीपक हीरावत<br>पिता श्री ज्ञानचंदजी हीरावत | एम.आई.जी.17 एवं 18, प्रेमनगर, बालाघाट तह. व जि.बालाघाट (म.प्र.) | [signature] |
| 2 | श्री सुभय वैद्य<br>पिता स्व. श्री अभय कुमार वैद्य | कुम्हारी मोहल्ला, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | [signature] |
| 3 | श्री सुरेश कुमार जैन<br>पिताश्री मांगीलालजी जैन | पुजा साड़ी सेन्टर इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट, तह. व जि. बालाघाट | [signature] |
| 4 | श्री गुलाब पारख<br>पिताश्री रेकचंदजी पारख | 'समर्पण' कामठी लाईन, राजनांदगांव जि. राजनांदगाव (छ.ग.) | Gulab. |
| 5 | श्री संयोग कोचर<br>पिता श्री शांतिलालजी कोचर | शांति ज्वेलर्स, मेन रोड, बालाघाट तह. व जि. बालाघाट | [signature] |
| 6 | श्रीमती चंचल जैन<br>पतिश्री सुरेश कुमारजी जैन | पुजा साड़ी सेन्टर इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट, तह. व जि. बालाघाट | Chanchal Jain |
| 7 | श्रीमती सीमा जैन<br>पति डॉ. त्रिभुन जैन | चौबे कालोनी, रायपुर, तह. व जि. रायपुर (छ.ग.) | Seema Jain |
| 8 | श्रीमती सुधा हीरावत<br>पति श्री दीपक हीरावत | एम.आई.जी.17 एवं 18, प्रेमनगर, बालाघाट तह. व जि.बालाघाट (म.प्र.) | Sudha Hirawat |
| 9 | श्री कमलेश वैद्य<br>पिता श्री पारसमल जी वैद्य | महावीर कॉलोनी, म.नं.23, दुर्ग (छ. ग.) | K. Vaidya |

साक्षी

हस्ताक्षर [signature]

नाम - Amit Hirawat

पता - M.I.G. 17/18, PREMNAGAR, BALAGHAT

व्यवसाय - MEDICAL STORES

TRUE COPY

[signature] 22/10/12

Assistant Registrar
Firm & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

2714/12
2/1/12

# नियमावली

1 संस्था का नाम :- **गुरुदेव शिक्षण समिति**

2. संस्था का कार्यालय :- एम.आई.जी. 17 एवं 18, प्रेमनगर, बालाघाट तह. व जि.बालाघाट (म.प्र.)

3. कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण भारत।

4. संस्था का उद्देश्य :-

1- आम जन को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने हेतु शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा उन्हे शिक्षित करना इस हेतु आवासीय व गैर आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित करना।

2- आम जन में तकनिकी शिक्षा जैसे कम्प्युटर शिक्षा, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे जागृति उत्पन्न करना इस हेतु प्रचार प्रसार करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करना।

3- डी.एड, बी.एड, एम.एड, इंजिनियरिंग, मेडिकल, ए.एन.एम., जी.एन.एम. बी.एस.सी. नर्सिग, सहचिकित्सा, डी. फार्मा, बी.फार्मा, फार्मासीटीकल, मिडवायफरी सेंटर, सहायक प्रशिक्षण सेंटर, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, सिलाई सेंटर, कला एवं संगीत विद्यालय, एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवं उसके लिये शिक्षण संस्थानो की स्थापना कर उनका संचालन करना।

4- प्रशिक्षणार्थियों में स्वावलंबन की भावना जागृत कर रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना।

5- छात्र-छात्राओं मे छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सम्पन्न करना।

6- व्यायाम विद्या की प्रोन्निति के लिए।

7- विज्ञान, सांस्कृतिक कला, ललित कलाओं, लोक गीत, लोक नृत्य, क्रीड़ा आदि की अभिवृद्धि।

8- राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर को संरंक्षण देना व सर्वांगीण विकास करना। इसके उत्थान एवं विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं विभिन्न कलाओं को मंच प्रदान करना।

9- समाज में देशभक्ति एवं राष्ट्रसेवा की भावना में वृद्धि करने हेतु सांस्कृतिक कार्यकम एवं विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित करना एवं राष्ट्रीय संस्कारों की पुर्नस्थापना करना। देशभक्ति व राष्ट्रीय चिंतन की भावना का विकास राष्ट्रीय एवं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनमत तैयार करना। समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने हेतु प्रयास करना।

10- समाज एवं सरकारी संस्थाओं के बीच सेतु का कार्य करना।

11- स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, रेड क्रास सोसायटी के उद्देश्य का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाना। विकलांग, नेत्रहीन, कुष्ठ रोगियों, पोलियो, एड्स, टी.बी., मलेरिया, शिशु भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य परिवार कल्याण में शासन का सहयोग एवं उक्त कार्यक्रम का आयोजन करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

12- पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण व संवर्धन हेतु कार्य करना।

13- राष्ट्रीय पर्व एवं महत्वपूर्ण दिवस तथा महापुरुषो की जयंती मनाना। जनता में राष्ट्रहित की भावना जागृत करना।

14- वन्य जीव/प्राणी संरक्षण हेतु कार्य करना।

15- वैकल्पिक उर्जा हेतु शोध व प्रचार प्रसार करना। इस हेतु प्रदर्शनी का आयोजन करना।

16- प्राकृतिक आपदा के समय प्रबंधन कार्य कर मानवीय सहयोग प्रदान करना।

17- उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में आम आदमी को जागरुक करना। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन कर सहायता प्रदान करना तथा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करना।

18- समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गो हेतु जनकल्याणकारी कार्य करना।

19- महिला व बाल विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

20- नशा मुक्ति हेतु जन जागृति अभियान चलाना।

21- कृषि की नवीन तकनिकीयो से कृषको को अवगत कराना एवं अनुसंधान करना।

22- निःशक्तजन, वृद्ध, परित्यगतता महिला, बच्चे आदि के लिये आश्रम का संचालन करना।

23- उद्योग, वाणिज्य, खादी की प्रोन्नति के लिये कार्य करना।

24- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को कार्यान्वित करना।

5. सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे–

(अ) संरक्षक सदस्य –संस्था को जो व्यक्ति सदस्यता के रूप में 10000/– रू. या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति संस्था के सदस्यता के रूप में रू. 5000/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 5000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य – जो व्यक्ति 500/– प्रतिवर्ष संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने सदस्यता दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय सदस्यता शुल्क नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लियें नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया सदस्यता की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य – संस्था की प्रबन्ध कारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

(6) सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन-पत्र प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन-पत्र स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार प्रंबधकारिणी को होगा।

(7) सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैं -
(1) आयु 18 वर्ष से कम न हों। (2) भारतीय नागरिक हो । (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो । (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी ।
(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर । (3) संस्था को देय सदस्यता की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर । (4) त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर । (5) चारित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगें:-
1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

(10) (अ) साधारण सभाः- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें। साधारण सभा की बैठक आवश्यक्तानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दे दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों को होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारीयों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जावेगा तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।
(ब) प्रबंन्धकारिणी सभा :- प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का ऐजेन्डा या सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।
(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यो की संख्या का) 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन को

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रको को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन :-** ट्रस्टिज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा -

(अ) अध्यक्ष 01 (ब) उपाध्यक्ष 01 (स) सचिव 01 (य) सहसचिव 01

(द) कोषाध्यक्ष 01 (ड) कार्यकारिणी सदस्य 04

13. **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :-** प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता, करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :-** (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परिक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था को चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) प्रबंधक, अधिकारी, कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौपे जाए।

(च) संस्था द्वारा कोई भी चल-अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावरसंपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित सूचना अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आहरित नही की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की, समस्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **सचिव के अधिकार** :- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
(2) समिति के आय व्यय का लेखा परिक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
(3)समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 15000/- रु. खर्च करने का अधिकार।

18. **सहसचिव के अधिकार** :- सचिव की अनुपस्थिति में सहसचिव को सचिव के समस्त अधिकार प्राप्त होंगें।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक खर्च हेतु कोषाध्यंक्ष के पास अधिकतम रूपये 15000/- रहेगे। समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी:- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधन**:- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतो से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. **विघटन**:- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 मतो से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी।

24. **सम्पत्ति** :- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं को लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा, दान द्वारा अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी। समिति अपनी चल अचंल सम्पत्ती बंधक रखकर समिति के उद्देश्यों की पूर्ती हेतु संस्था, बैक आदि से ऋण व सहायता प्राप्त कर सकती है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. **विवादः-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझााने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षो को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव

TRUE COPY

22/12/12

Assistant Registrar
Firm & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

33AA 397247

सोसायटी के ज्ञापन व नियमावली की प्रमाणित प्रति बाबत

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर संभाग, जबलपुर

CANCELLED

25/1/12

Assistant Registrar
Firm & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

2642 [illegible]

[illegible]

PHVPS
4030 M.

जिला [illegible]
23 [illegible]

रामेश्वर प्रसाद सोनी
स्टाम्प [illegible]
कलेक्टेट, जबलपुर कोड नं.82

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

39AA 871462

समिति की ज्ञापन व नियमावली की प्रमाणित प्रति बाब

CANCELLED

22/12/12

Assistant Registrar
Firm & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

क्रमांक 9771 दिनांक 21/12/12 स्टाम्प 10/-

क्रेता गुरुदेव पिता/पति शिक्षा समिति

पता बालाघाट

नाम राजेश सेवइवार

प्रयोजन शपथ पत्र

10 X 1 = 10/-

पी. के. गुप्ता
स्टाम्प वेंडर, बालाघाट

Rajesh Sevaiwar

TREASURY OFFICER
BALAGHAT